



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-27042023-245456
CG-JK-E-27042023-245456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]
No. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/ VAISAKHA 5, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए)

अधिसूचना

जम्मू, 31 मार्च, 2023

सं. जेईआरसी-टेक/2023/08.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 15, 16, 18 और 52 के साथ पठित धारा 181 के तहत निहित अधिकारों और इस संबंध में इसे सक्षम करने योग्य अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा व्यापारिक लाइसेंस देने के लिए पात्रता मानदंड, बिजली व्यापारी के कर्तव्यों और अन्य संबंधित मामलों को निर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
 - इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत व्यापार) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
 - ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर व्यापार के लिए लागू होंगे।
 - ये विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
- परिभाषा और व्याख्या
 - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

- ख. "आवेदक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने बिजली के व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन किया है;
- ग. "समझौता" का अर्थ बिजली व्यापारी द्वारा बिजली के विक्रेता, बिजली के खरीदार, अन्य लाइसेंसधारियों और राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ किया गया समझौता है, जो व्यापार लेनदेन को सक्षम बनाता है;
- घ. "लेखा परीक्षक" का अर्थ है ट्रेडिंग लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक;
- ङ. "आयोग" का अर्थ है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग; केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए ;
- च. "बिजली व्यापारी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत बिजली का व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है;
- छ. "लाइसेंस" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के तहत दिया गया लाइसेंस है;
- ज. "लाइसेंसधारी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत एक बिजली व्यापारी के रूप में बिजली का व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- झ. "लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय" का अर्थ है लाइसेंस के तहत अधिकृत राज्य में बिजली के व्यापार का व्यवसाय;
- ञ. किसी भी समय "नेट वर्थ" प्रदत्त पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) और संचित घाटे को घटाकर मुक्त भंडार का कुल योग है, लेकिन इसमें संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए भंडार, मूल्यहास प्रावधानों और समामेलन को वापस करना शामिल नहीं होगा;
- ट. "अन्य व्यवसाय" का अर्थ है व्यापार के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अलावा व्यापारी का कोई भी व्यवसाय;
- ठ. "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या निगमित निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल होंगे;
- ड. "तिमाही" का अर्थ तीन महीने की अवधि है जो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी के पहले दिन से शुरू होती है और वित्तीय वर्ष के क्रमशः जून, सितंबर, दिसंबर या मार्च के अंतिम दिन समाप्त होती है;
- ढ. "ट्रेडिंग" का अर्थ है उसके पुनर्विक्रय के लिए बिजली की खरीद और अभिव्यक्ति "ट्रेड" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- ण. "वर्ष" का अर्थ है 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।
- 2.2. इन विनियमों में आने वाले और ऊपर परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।
3. विद्युत व्यापारी बनने के लिए पात्रता की शर्तें
- 3.1. पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता और ऋण योग्यता:
- क. आवेदक को किए जाने वाले प्रस्तावित व्यापार की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार आवेदक का निवल मूल्य यहां निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगा:

क्र.सं.	ट्रेडिंग लाइसेंस की श्रेणी	प्रति वर्ष व्यापार करने के लिए प्रस्तावित बिजली की मात्रा (एमयू में)	कुल संपत्ति (रुपये करोड़ में)
1.	क.	50 एमयू तक	1.0
2.	ख.	51 एमयू से 100 एमयू	2.0
3.	ग.	101 एमयू से 200 एमयू	4.0
4.	घ.	201 एमयू से 500 एमयू	8.0
5.	ङ.	500 एमयू से ऊपर	10.0

- ख. आवेदक, और यदि आवेदक एक कंपनी है, तो कंपनी के प्रवर्तक, और यदि आवेदक एक साझेदारी फर्म है, तो फर्म के भागीदारों को किसी भी समय "भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

- ग. आवेदक आवेदन करते समय आयोग की संतुष्टि के लिए एक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित अपने निवल मूल्य का प्रदर्शन करेगा।
- घ. आयोग उसके द्वारा निर्दिष्ट एक तिथि से, नए आवेदकों के लिए समय-समय पर निवल मूल्य की आवश्यकता को बदल सकता है।

3.2. तकनीकी आवश्यकताएं

- क. आवेदक निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव वाले कम से कम एक पूर्णकालिक पेशेवर को नियुक्त करेगा, अर्थात्: -

i. पावर सिस्टम ऑपरेशंस और पावर ट्रांसफर के वाणिज्यिक पहलू, और

ii. वित्त, वाणिज्य और लेखा।

उपरोक्त (i) के लिए न्यूनतम योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होगी और उपरोक्त (ii) के लिए सीए / आईसीडब्ल्यूए होगी।

- ख. आवेदक आयोग को व्यापार करने से पहले पूर्णकालिक आधार पर उसके द्वारा लगाए गए पेशेवर और सहायक कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

- ग. उपरोक्त जानकारी को सहायक दस्तावेजों के साथ दायर किया जाना चाहिए।

i. आवेदक को आयोग की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध करना चाहिए कि आवेदक द्वारा प्रदर्शित तकनीकी क्षमता और संसाधन व्यापार की इच्छित मात्रा का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त हैं।

ii. व्यापार हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक को तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

बशर्ते कि आयोग आवेदक को ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि व्यापारी ट्रेडिंग करने से पहले उपरोक्त विनियम 3.2 के अनुसार विवरण प्रस्तुत करे और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करे।

4. ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया

- क. व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों के अनुबंध-1ए में निहित प्रपत्र में व्यापार विनियमों के संचालन में निर्दिष्ट तरीके से आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (व्यवसाय का संचालन) विनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी जिसमें आवेदन की सूचना का प्रकाशन, हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित करना और आवेदक से प्रतिक्रिया मांगना शामिल होगा और इसे 45 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रूप से पूरा किया जाएगा।

- ख. आवेदन निम्नलिखित के साथ प्रदान किया जाना चाहिए:

i. लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय चलाने में खर्च की जाने वाली प्रस्तावित पूंजी का विवरण और ऐसे अन्य विवरण जिनकी आयोग को आवश्यकता हो सकती है;

ii. कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति, जहां आवेदक एक निगमित निकाय है, और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में निगमन, पंजीकरण या समझौते के समान लागू दस्तावेज;

iii. उपरोक्त खंड (ए) के अनुसार निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद;

iv. आवेदक द्वारा आवेदन में प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा;

v. जहां आवेदक एक निगमित निकाय है, बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण या व्यापार के व्यवसाय में लगी किसी भी समूह कंपनी (यों) का विवरण, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख या किसी अन्य राज्य में हो;

vi. जहां आवेदक एक निगमित निकाय नहीं है, बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण या व्यापार के किसी भी व्यवसाय का विवरण, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के भीतर हो या किसी अन्य राज्य में, जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता हो ;

vii. विद्युत क्षेत्र में आवेदक की किसी वित्तीय धारिता का विवरण

viii. आवेदक के कॉरपोरेट निकाय होने की स्थिति में प्रवर्तकों का संक्षिप्त इतिहास;

- ix. ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी जो आयोग मांग सकता है।
- ग. आवेदक द्वारा आवेदन की सूचना प्रकाशित करने के बाद और प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, आयोग अनंतिम रूप से लाइसेंस देने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है और यदि यह लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो यह ऐसे आयोग द्वारा तय किए गए विशिष्ट नियमों और शर्तों पर और सामान्य शर्तों में ऐसे संशोधनों के साथ कर सकता है।
- घ. जब आयोग लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो आयोग जिसे वह लाइसेंस प्रदान करना चाहता है उस व्यक्ति का नाम और पता सूचित करते हुए नोटिस और अन्य विवरण प्रकाशित करेगा जो आवश्यक हो और जनता से सुझाव/आपत्तियां मांगेगा और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा रखने वालों की सुनवाई के लिए एक तारीख भी सूचित करेगा।
- ङ. सभी सुझावों/आपत्तियों पर विचार करने के बाद और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के इच्छुक लोगों को सुनने के बाद, आयोग अंततः लाइसेंस देने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।
- च. यदि आयोग लाइसेंस प्रदान करता है, तो आयोग का सचिव लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद लाइसेंस की एक प्रति राज्य सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भेजेगा जिन्हें आयोग आवश्यक समझता है।
- छ. लाइसेंसधारी व्यापार लाइसेंस प्रदान करने के लिए शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियमों के अनुसार आयोग को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा। वर्ष के लिए पूर्ण लाइसेंस शुल्क देय होगा चाहे लाइसेंस पूरे वर्ष के लिए या आंशिक रूप से संचालित हो। शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियमों में उल्लिखित रूप और तरीके से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक किया जाएगा।
- बशर्ते कि संचालन के पहले वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा आवेदक को लाइसेंस जारी करने के सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना देने के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

5. ट्रेडिंग मार्जिन की प्रयोज्यता

व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा किए गए निम्नलिखित लेनदेन पर ट्रेडिंग मार्जिन लागू होगा:

- क) अल्पकालिक अनुबंधों के तहत लेनदेन (जहां विक्रेता और खरीदार दोनों के साथ व्यापार लाइसेंसधारी के अनुबंध की अवधि, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए लेनदेन सहित, एक वर्ष तक है);
- ख) लंबी अवधि के अनुबंधों के तहत लेनदेन (जहां विक्रेता या खरीदार या दोनों के साथ व्यापार लाइसेंसधारी के अनुबंध की अवधि एक वर्ष से अधिक है);
- ग) बिजली की बैंकिंग, चाहे अनुबंध की अवधि कुछ भी हो;
- घ) बैंक टू बैंक संविदाओं के अंतर्गत लेनदेन, चाहे अनुबंध की अवधि कुछ भी हो;

5.1 ट्रेडिंग मार्जिन

1. व्यापार लाइसेंसधारी नीचे दिए गए अनुसार ट्रेडिंग मार्जिन का अनुपालन करेगा:

- क. ट्रेडिंग मार्जिन बिजली की निर्धारित मात्रा पर लगाया जाएगा
- ख. ट्रेडिंग मार्जिन में अनुसूचित ऊर्जा, ओपन एक्सेस और ट्रांसमिशन हानियों के शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे:

बशर्ते कि ओपन एक्सेस के शुल्क में ट्रांसमिशन शुल्क, परिचालन शुल्क और आवेदन शुल्क शामिल हैं।

- ग. अल्पकालिक और दीर्घकालिक अनुबंधों और एक वर्ष तक पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अनुबंध के तहत लेनदेन के लिए, व्यापार लाइसेंसधारी शून्य (0.0) पैसा/किलोवाट घंटा से कम और चार (4.0) पैसा/किलोवाट घंटा से अधिक का ट्रेडिंग मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा:

बशर्ते कि अनुबंधों में जहां एस्करो व्यवस्था लागू हो या एक वर्ष की वैधता के साथ दीर्घकालिक अनुबंध के मामले में और विक्रेता के पक्ष में अपरिवर्तनीय, बिना शर्त के ट्रेडिंग लाइसेंसधारी द्वारा औसत मासिक बिल राशि के एक दशमलव एक (1.1) गुना के बराबर (तीन महीनों के लिए मासिक बिलिंग राशियों या पिछले तीन महीनों के लिए वास्तविक मासिक बिलिंग राशि का अनुमानित औसत, जैसा भी मामला हो) क्रेडिट का पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो व्यापार लाइसेंसधारी 2 (2.0) पैसा/किलोवाट घंटा से अधिक का ट्रेडिंग मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।

अल्पावधि अनुबंध के मामले में, विक्रेता के पक्ष में व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा अल्पावधि अनुबंध के लिए अनुबंध मूल्य के एक दशमलव शून्य पांच (1.05) गुना के बराबर क्रेडिट का पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो व्यापार लाइसेंसधारी 2 पैसा/किलोवाट घंटा से अधिक का ट्रेडिंग मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।

2. इन नियमों के तहत निर्दिष्ट ट्रेडिंग मार्जिन उत्पन्नकर्ता और अंतिम खरीदार के बीच लेन-देन की श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा लगाए गए ट्रेडिंग मार्जिन का संचयी मूल्य होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि कई ट्रेडर-टू-ट्रेडर लेनदेन के मामले में ट्रेडिंग मार्जिन और इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट ट्रेडिंग मार्जिन की सीमा से अधिक नहीं होगा।

6. लाइसेंस में संशोधन

क. अधिनियम की धारा 18 के तहत मौजूदा लाइसेंस की शर्तों में संशोधन/शर्तों की मांग करने वाला आवेदन इन विनियमों के अनुबंध-1बी में निहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और अधिकृत व्यक्ति के एक हलफनामे द्वारा समर्थित होगा जैसा कि व्यवसाय विनियमों के संचालन के फॉर्म -2 में प्रदान किया गया है।

ख. ऐसे आवेदन:-

i. मौजूदा शर्तों, लाइसेंस की शर्तों में प्रस्तावित संशोधनों और उनके कारणों को बताएं;

ii. लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन को उचित ठहराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ होना चाहिए; और

iii. शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियमों में निर्दिष्ट राशि के शुल्क के साथ और उसके रूप में उल्लिखित रूप और तरीके से होना चाहिए।

ग. लाइसेंसधारी, इस तरह के आवेदन के प्रवेश की तारीख से 7 दिनों के भीतर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में व्यापक प्रसार वाले अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के एक-एक अंक में इन विनियमों के अनुबंध-2 में निर्दिष्ट प्रपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करेगा।

घ. मौजूदा लाइसेंस में संशोधन की मांग करने वाले लाइसेंसधारी के आवेदन पर व्यापार विनियमों और इन विनियमों के आचरण के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा और अंतिम रूप से 45 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

7. लाइसेंसधारी के कर्तव्य और दायित्व

लाइसेंसधारी के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व होंगे:-

क. लाइसेंसधारी व्यापार विनियमों के संचालन के प्रावधानों का पालन करेगा और व्यापार विनियमों के संचालन में निर्दिष्ट व्यापार लाइसेंस की सामान्य शर्तों के साथ-साथ उसे जारी किए गए लाइसेंस की विशेष शर्तों का भी पालन करेगा;

ख. लाइसेंसधारी एक महीने की अवधि के भीतर अपने निवल मूल्य में वृद्धि करेगा यदि खंड 3.1 में निर्दिष्ट व्यापार की मात्रा एक वर्ष में किसी भी स्तर पर निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में उन्नत हो जाती है और लाइसेंसधारी इस तरह के किसी भी उन्नयन और निवल मूल्य में बाद के बदलाव के बारे में आयोग को सूचित करेगा;

ग. यदि किसी लाइसेंसधारी के पास कई लाइसेंस हैं और एक वर्ष में किसी भी स्तर पर उसके व्यापार की संयुक्त मात्रा ऐसे लाइसेंसों के लिए आवश्यक संयुक्त नेट वर्थ से अधिक है, तो वह एक महीने की अवधि के भीतर अपने नेट वर्थ में वृद्धि करेगा और आयोग को उसका प्रमाण प्रदान करेगा;

घ. लाइसेंसधारी व्यापार का कारोबार शुरू करने से पहले एसएलडीसी की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संचार सुविधाएं स्थापित करेगा;

ङ. इन विनियमों के अनुबंध 3 और 4 में निर्धारित प्रारूप में जानकारी और व्यापार के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी पोस्ट करने के लिए लाइसेंसधारी की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वह यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस की वैधता के दौरान वेबसाइट हर समय चालू रहे;

च. लाइसेंसधारी, व्यापार संचालन के प्रत्येक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर, अपने निवल मूल्य के संबंध में अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

छ. लाइसेंसधारी व्यापार के लिए ट्रेडिंग मार्जिन के अधीन होगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है;

- ज. लाइसेंसधारी अपने द्वारा किए गए सभी व्यापारिक लेनदेन का एक अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखेगा। वह लाइसेंसधारी के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा;
- झ. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यापार बिजली के विक्रेता या बिजली के खरीदार के साथ जैसा भी मामला हो, उचित समझौते करने के बाद किया जाता है। व्यापार के माध्यम से बिजली की आपूर्ति और कारोबार की गई बिजली के भुगतान के संबंध में आवश्यक सुरक्षा उपायों को पार्टियों के बीच समझौतों में शामिल किया जाएगा। सभी वित्तीय लेन-देन अनुसूचित बैंकों के साख पत्रों के माध्यम से होंगे;
- ञ. व्यापारी आयोग को शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियमों में उल्लिखित अप्रतिदेय वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
- ट. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा लेखांकन के उद्देश्य से स्थापित मीटर ग्रिड कोड, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के विनिर्देशों का अनुपालन करते हैं।
- ठ. लाइसेंसधारी के पास पारेषण लाइसेंसधारी (ओं) और वितरण लाइसेंसधारी (ओं) के साथ बिजली के पारेषण और/या व्हीलिंग के लिए आवश्यक समझौते होंगे, जैसा भी मामला हो;
- ड. लाइसेंसधारी व्यापार संचालन के प्रत्येक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर आयोग, राज्य पारेषण उपयोगिता और एसएलडीसी को अपनी वार्षिक व्यापार योजना प्रदान करेगा;
- ढ. व्यापारी अपने व्यापारिक व्यवसाय के लिए अलग खाते बनाए रखेगा, समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार इसे तैयार और बनाए रखेगा और इस तरह के अन्य विवरण जिस तरह से आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है तैयार और बनाए रखेगा।
- ण. व्यापारी आयोग को लेखांकन विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिससे वे संबंधित हैं। आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति व्यापारी के खातों का निरीक्षण और सत्यापन करने का हकदार होगा और व्यापारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- त. लाइसेंसधारी राज्य लोड डिस्पैच सेंटर, (एसएलडीसी), स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का विधिवत पालन करेगा;
- थ. लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 66 के तहत समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
- द. व्यापारी विद्युत पारेषण के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
- ध. व्यापारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति को बिक्री, पट्टे, विनियम या अन्यथा अपना लाइसेंस सौंप या स्थानांतरित नहीं करेगा। जहां भी आयोग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, व्यापारी व्यवसाय विनियमों के संचालन के अनुसार आयोग के समक्ष एक उपयुक्त याचिका दायर करेगा।
8. आयोग और अन्य को सूचना की आपूर्ति
- क. लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सूचना की आपूर्ति करेगा।
- ख. लाइसेंसधारी राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य यूटिलिटी को इन विनियमों के अनुबंध-3 में निर्धारित प्रारूप में सूचना की आपूर्ति करेगा और इसकी एक प्रति आयोग को तिमाही आधार पर देगा और वेबसाइट पर भी पोस्ट करेगा।
- एसएलडीसी, व्यापार की गई ऊर्जा की मात्रा की सत्यता को सत्यापित करेगा, जैसा कि उक्त तिमाही सूचना में दर्शाया गया है और आयोग को रिपोर्ट करेगा।
9. निष्पादन के मानक
- क. आयोग, लाइसेंसधारी से परामर्श के बाद, लाइसेंसधारी के निष्पादन के मानकों को निर्दिष्ट कर सकता है।
- ख. इन विनियमों के अनुबंध-4 में निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर आयोग को निष्पादन विवरण प्रस्तुत करेगा।
10. लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन
- यदि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या उल्लंघन की संभावना है, तो आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के आदेश पारित कर सकता है।

11. लाइसेंस से इनकार

यदि आयोग लाइसेंस देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो आयोग आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देगा।

12. एक लाइसेंस का निरसन

- क. अधिनियम की धारा 19 के तहत लाइसेंस रद्द करने और/या कोई अन्य आदेश जारी करने की कार्यवाही आयोग द्वारा एक आदेश के माध्यम से शुरू की जाएगी। आयोग स्वप्रेरणा से या लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर ऐसी कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- ख. आयोग लाइसेंस के निरसन की कार्यवाही की सूचना लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य व्यक्ति, प्राधिकरण या निकाय को देगा जिसे आयोग उचित समझे।
- ग. अधिनियम के प्रावधानों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, लाइसेंस के निरसन के लिए आयोग द्वारा जांच, जहां तक यह लागू है, उसी तरीके से होगी जैसा कि आयोग के संचालन विनियमों में लागू होता है।
- घ. यदि आयोग लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लेता है, आयोग वह तिथि बताते हुए लाइसेंसधारी को निरस्तीकरण के आदेश की सूचना देगा जबसे ऐसा निरस्तीकरण प्रभावी होगा।
- ङ. आयोग लाइसेंस को रद्द करने के बजाय ऐसे नियमों या शर्तों को लागू करने के लिए कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसके अधीन लाइसेंसधारी को उसके बाद काम करने की अनुमति होगी।

13. आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना

अधिनियम, और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन, पालन की जाने वाली प्रक्रिया आदि, और अन्य मामलों के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट या प्रत्यक्ष करने के लिए इन विनियमों द्वारा सशक्त किया गया है।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कुछ भी कर सकता है, जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

15. संशोधन करने की शक्ति

आयोग आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या संशोधित कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,
वी. के. धर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./48/2023-24]

अनुबंध-1ए

(विनियम-4 देखें)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

लद्दाख में ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

आवेदक को छह (6) प्रतियों में भरे हुए आवेदन को सचिव, जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश के संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, अंबेडकर चौक (पनामा चौक), रेलवे लाइन, जम्मू के साथ _____ रुपये (रुपये _____ मात्र) के आवेदन शुल्क के साथ जमा करना होगा, जैसा कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में आहरित डीडी/पे ऑर्डर के रूप में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित और जम्मू में देय है।

भाग-ए: आवेदक पर सामान्य जानकारी

1. आवेदक का विवरण

ख) आवेदक का पूरा नाम:

ग) आवेदक का पूरा पता:

घ) संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

ङ) संपर्क टेलीफोन नंबर:

फैक्स नंबर:

ईमेल आईडी:

2. स्वामित्व का विवरण

क) कंपनी/फर्म/सहकारिता सोसायटी/व्यक्ति/अन्य (निर्दिष्ट करें):

ख) निगमन/पंजीकरण का विवरण

निगमन/पंजीकरण का स्थान:

निगमन/पंजीकरण का वर्ष:

पंजीकरण संख्या:

ग) निदेशकों का नाम और पता:

3. प्रधान शेयरधारक / भागीदार / सदस्य:

4. (क). संचालन के क्षेत्र का विवरण

(ख). विद्युत पारेषण, वितरण या व्यापार के लिए आवेदक के अन्य बिजली लाइसेंस/प्राधिकार, यदि कोई हो, की प्रकृति जो पहले ही प्रदान की जा चुकी है:

5. ऑपरेशन का विवरण:

आवेदक द्वारा पहले पांच वर्षों के लिए मासिक आधार पर किए जाने वाले प्रस्तावित अधिकतम व्यापार की मात्रा;

6. दायित्वों को पूरा करने के लिए धन व्यवस्था (स्रोत और आवेदन):

7. ऊर्जा क्रय की व्यवस्था:

8. अन्य मौजूदा लाइसेंसधारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो

क) विवरण के साथ संगठन का रिज्यूमे

ख) प्रबंधन क्षमता

ग) वित्तीय शक्ति

घ) स्थायी तरीके से गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता

9. पूर्व अनुभव (संबंधित व्यवसाय के लिए पिछले 5 वर्षों का विवरण)

[जेवीसी/कंसोर्टियम (जैसा लागू हो) के मामले में आवेदक या प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है]

सामान्य जानकारी	
विकसित परियोजना (परियोजनाओं) का नाम और पता	
विकसित परियोजना (परियोजनाओं) का संक्षिप्त विवरण	
विकसित परियोजना (परियोजनाओं) की लागत - रुपये लाखों में	
ग्राहक (ग्राहकों) के नाम और पते जिनके लिए परियोजना (ओं) को विकसित किया गया था	
ग्राहक(कों) के संदर्भ व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पते	

10. आवेदक के अन्य व्यावसायिक उपक्रमों का वित्तीय विवरण

[जेवीसी/कंसोर्टियम (जैसा लागू हो) के मामले में आवेदक या प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है]

सामान्य जानकारी					
सहायक व्यावसायिक इकाइयों के नाम 1. 2. 3. 4. 5.	निर्मित उत्पाद/ प्रदान की गई सेवाएं 1. 2. 3. 4. 5.				
वित्तीय संकेतक	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
अचल संपत्तियां: सकल अचल संपत्ति संचित मूल्यहास शुद्ध नियत संपत्तियां					
हिस्सेदारी: 'प्रमोटर्स' सरकार / वित्तीय संस्थान सार्वजनिक अन्य (विशिष्ट)					
देनदारियां: लंबी अवधि लघु अवधि					
आय: बिजली की बिक्री अन्य					
व्यय: प्रशासन और सामान्य व्यय मरम्मत और रखरखाव व्यय कर्मचारी लागत: ब्याज और वित्तीय शुल्क लंबी अवधि लघु अवधि अन्य					
वित्तीय संकेतक	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
कुल कारोबार (रु. लाख)					
लाभ और प्रतिफल (रु. लाख) मूल्य लाभ भुगतान किया गया लाभांश					
परिचालन अनुपात: लाभांश					

रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन नेट अचल संपत्तियां	
नकदी अनुपात: ऋण सेवा परिव्यास अनुपात वर्तमान अनुपात त्वरित अनुपात	
पूंजी पर्याप्तता और ऋण पात्रता: ऋण / निवल मूल्य ऋण / इक्विटी	
कारोबार अनुपात: कुल संपत्ति कारोबार अचल संपत्ति का कारोबार	

11. आधारभूत जानकारी (व्यवसाय जिसके लिए लाइसेंस मांगा गया है)

सामान्य जानकारी	

भाग-बी: लाइसेंस आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची

1. पहले से मौजूद लाइसेंस (यदि कोई हो) से संबंधित जानकारी, लाइसेंस/मंजूरी की प्रति के साथ।
 2. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड और इसी तरह के संवैधानिक दस्तावेजों की प्रतियां।
 3. निगमन/पंजीकरण का प्रमाणन।
 4. व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाणन।
 5. आवेदक या उसके प्रमोटर्स को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता की मूल पावर ऑफ अटॉर्नी।
 6. आयकर पंजीकरण का विवरण।
 7. प्रबंधन और वित्तीय क्षमता से संबंधित डेटा
 - क. प्रबंधकीय
 - i. वरिष्ठ प्रबंधन का बायोडाटा
 - ii. विभिन्न श्रेणियों के लिए संवर्ग शक्ति (तकनीकी और गैर-तकनीकी)
 - ख. वित्तीय
 - i. बैंक संदर्भ जिसमें दावा किया गया है कि आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम है
 - ii. सबसे हालिया वार्षिक वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट)
 - iii. आवेदक और किसी भी धारक कंपनी, सहायक या संबद्ध कंपनी के लिए पिछले 3 वर्षों के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते
 - iv. प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपरोक्त बयानों पर कोई भी संलग्न नोट और प्रमाणन
 - ग. वित्तीय क्षमताओं, तकनीकी क्षमता और अन्य को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य।
8. आवेदक के व्यावसायिक प्रस्तावों से संबंधित डेटा।
9. आवेदन संबंधित प्रस्तावित व्यवसाय के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना (अनुमानों के साथ)।
10. लागत, राजस्व, परियोजना वित्तपोषण और वित्त पोषण व्यवस्था का पांच साल का वार्षिक पूर्वानुमान (शामिल धारणाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए)
11. एक हलफनामा कि आवेदक बिजली के पारेषण के कारोबार में नहीं लगा है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुबंध -1 बी
(विनियम-5 देखें)
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन पत्र)
आवेदक को जम्मू में देय संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में आह्वित डीडी के रूप में समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को दस प्रतियों में पूर्ण आवेदन जमा करना होगा।

भाग- क

आवेदक एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के तहत बिजली के व्यापार के लिए अपने मौजूदा लाइसेंस के नियमों और शर्तों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए आयोग को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है:

1. मौजूदा लाइसेंस का विवरण
लाइसेंस संख्या _____ दिनांक _____
2. व्यापार के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो
मौजूदा क्षेत्र _____ प्रस्तावित क्षेत्र _____
3. अन्य खंडों में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन/परिवर्तन
मौजूदा स्थितियां _____ प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन _____
(क)
(ख)
(ग)
4. मांगे गए परिवर्तन/संशोधन के कारण
5. यदि प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन से अतिरिक्त निवेश होगा, तो इसके लिए धन की व्यवस्था।
6. प्रासंगिक/आवश्यक समझे जाने वाले अन्य विवरण।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग-ख

मौजूदा लाइसेंस में संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची।

1. मौजूदा लाइसेंस की प्रति।
2. कंपनी/सोसायटी/स्थानीय प्राधिकारी का प्रासंगिक संकल्प।
3. आवेदक या उसके प्रमोटर से प्राधिकरण की पुष्टि करने वाले हस्ताक्षरकर्ता की मूल पावर ऑफ अटॉर्नी।
4. कोई अन्य दस्तावेज।

अनुबंध-2

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के प्रकाशन के लिए प्रोफार्मा

बिजली में व्यापार के लिए एक मौजूदा लाइसेंस में संशोधन के लिए ----- द्वारा दायर आवेदन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के तहत सभी इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि मेसर्स-----

(आवेदक का नाम और पता), निम्नलिखित क्षेत्र के लिए व्यापार लाइसेंस संख्या----- दिनांक----- धारण करता है: -

क्षेत्र का विवरण

(लाइसेंस के अनुसार)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, अम्बेडकर चौक (पनामा चौक), रेलवे लाइन, जम्मू में ऊपर उल्लिखित अपने लाइसेंस के नियमों और शर्तों में निम्नलिखित बदलाव करने के लिए आवेदन किया है।
(नियमों और शर्तों के मौजूदा प्रावधान और मांगे गए संशोधन/परिवर्तन दें)

मौजूदा शर्तें

प्रस्तावित संशोधन

- 1.
- 2.
- 3.

प्रस्तावित संशोधनों/परिवर्तनों के साथ आवेदन का निरीक्षण ऊपर उल्लिखित पते पर आयोग के कार्यालय में और आवेदक के मुख्य कार्यालय में ----- पर किया जा सकता है।

परिवर्तनों को आयोग की वेबसाइट www.jercjkl.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधनों/परिवर्तनों के साथ आवेदन की प्रतियां भी आवेदक मेसर से व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा रु. 100/- के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन के संबंध में आपत्ति करने या अन्यथा अभ्यावेदन करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्तियों / अभ्यावेदन को सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को सात प्रतियों में हाथ से वितरण या पंजीकृत डाक द्वारा अग्रेषित कर सकता है और आपत्ति / अभ्यावेदन की एक प्रति मेसर्स _____ को किसी भी ऊपर उल्लिखित कार्यालय को भेजें।

आपत्ति/अभ्यावेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित विवरण देना चाहिए:-

1. नाम और पूरा पता
2. आपत्ति/अभ्यावेदन के समर्थन में आधार/कारण दस्तावेजों या सबूतों के साथ, यदि उपलब्ध हो।
3. क्या वह सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई की इच्छा रखता है।

अनुबंध 3

त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

(तिमाही के बाद के महीने के 10 वें दिन तक आयोग और एसएलडीसी को प्रस्तुत किया जाना है)

विद्युत व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति विवरण (संख्या एवं दिनांक) :

क्रम.सं.	लेन-देन की तिथि और समय	कारोबार की गई बिजली की मात्रा (मिलियन KWHs में)	से खरीदा गया*	को बेचा*	खरीदने का स्थान	खरीद मूल्य	विक्री केन्द्र	विक्रय मूल्य	पारेषण/व्हीलिंग शुल्क का भुगतान किया गया है, और क्या शुल्क विक्रेता/व्यापारी/खरीदार द्वारा वहन किया गया**	पारेषण हानियों का भुगतान किया गया है, और क्या शुल्क विक्रेता/व्यापारी/खरीदार द्वारा वहन किया गया**	भुगतान किये गए गैर-अनुसूचित इंटरचेंज (यूआई शुल्क), और क्या शुल्क विक्रेता/खरीदार द्वारा वहन किए गए हैं** गया**	ट्रेडिंग मार्जिन चार्ज किया गया	टिप्पणियां
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

टिप्पणी: सभी लेन-देन वास्तविक समय के आधार पर रिपोर्ट किए जाएंगे चाहे व्यस्ततम अवधि के दौरान हो, कम व्यस्ततम अवधि या चौबीसों घंटे के दौरान हो और इसे समेकित नहीं किया जाना चाहिए।

- * विक्रेता/ खरीदार के नाम के अलावा, विक्रेता/ खरीदार की श्रेणी नामतः उत्पन्नकर्ता, कैप्टिव पावर प्लांट, वितरण लाइसेंस, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि का संकेत दें।
- ** जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुबंध- 4

विद्युत व्यापारी के प्रदर्शन के मानकों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा
(आयोग और एसएलडीसी को तिमाही के बाद के महीने के 15 वें दिन तक प्रस्तुत किया जाना है)

विद्युत व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति विवरण (संख्या एवं दिनांक) :

क्र.सं. -	तिमाही के दौरान व्यापार की मात्रा	वर्तमान तिमाही तक संचयी व्यापार	क्या व्यापारी की श्रेणी में कोई परिवर्तन हुआ है	क्या श्रेणी बदलने के कारण निवल मूल्य में वृद्धि हुई है	क्या लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन किसी एजेंसी द्वारा इंगित किया गया है या स्वयं लाइसेंसधारी द्वारा देखा गया है। यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें।	व्यापार के लिए खरीदी गई ऊर्जा के लिए भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

- टिप्पणी: i) विधिवत भरे हुए अनुबंध-4 की एक अलग प्रति भी सीधे आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।
- ii) एसएलडीसी व्यापार की मात्रा को सत्यापित करेगा और आयोग को अनुबंध-4 भेजेगा।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For UT of J & K and UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 31st March, 2023

No. JERC-TECH/2023/ 08.—In exercise of powers vested under Section 181 read with Section 15, 16, 18 and 52 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territory of Jammu and Kashmir & Union Territory of Ladakh hereby makes the following Regulations specifying the eligibility criteria for grant of trading licence, the duties of the electricity trader and other related matters:

1. Short Title, Extent and Commencement

- These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Trading) Regulations, 2023.
- These Regulations shall be applicable to Trading within Union Territory of Jammu and Kashmir & Union Territory of Ladakh.
- These Regulations shall come into force from the date of notification in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

2.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

- b. **“Applicant”** means a person who has made an application to the Commission for grant of Licence for Trading in electricity;
- c. **“Agreement”** means agreement(s) entered into by the electricity trader with the seller of electricity, buyer of electricity, other licensees and State Load Despatch Centre, that enables the trading transactions;
- d. **“Auditors”** means the auditors appointed by the Trading Licensee;
- e. **“Commission”** means the Joint Electricity Regulatory Commission; for UT of J&K and UT of Ladakh;
- f. **“Electricity Trader”** means a person who has been granted a licence to undertake trading in electricity under Section 14 of the Act;
- g. **“Licence”** means a licence granted under Section 14 of the Act;
- h. **“Licensee”** means a person who has been granted a Licence under Section 14 of the Act to undertake trading in electricity as an Electricity Trader.
- i. **“Licensed Business”** means the business of trading in electricity in the State as authorized under the licence;
- j. **“Net worth”** at any point of time is the sum total of paid up capital (including Share Premium) and free reserves minus accumulated losses, but shall not include reserves created out of revaluation of assets, write back of depreciation provisions and amalgamations;
- k. **“Other Business”** means any business of the trader other than the licenced business of trading;
- l. **“Person”** shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person;
- m. **“Quarter”** means a three-month period starting from 1st day of April, July, October or January and ending respectively on the last day of June, September, December or March of a financial year;
- n. **“Trading”** means purchase of electricity for resale thereof and the expression “trade” shall be construed accordingly;
- o. **“Year”** means a financial year ending on 31st March.

2.2. Words and expressions occurring in these Regulations and not defined above shall have the same meaning as in the Act.

3. Eligibility Conditions for being an Electricity Trader

3.1. Capital Adequacy Requirement and Credit Worthiness:

- a. The applicant shall be categorized depending upon the volume of trading proposed to be undertaken and accordingly the net worth of the Applicant shall not be less than the amounts specified hereunder:

S. No.	Category of the Trading Licence	Volume of Electricity proposed to be traded per year (in MU)	Net worth (Rs. in crores)
1.	A	Up to 50 MU	1.0
2.	B	51 MU to 100 MU	2.0
3.	C	101 MU to 200 MU	4.0
4.	D	201 MU to 500 MU	8.0
5.	E	Above 500 MU	10.0

- b. The Applicant, and if the Applicant is a company, the promoters of the company, and if the Applicant is a partnership firm, the partners of the firm, shall at no point of time have been classified as —wilful defaulter by the Reserve Bank of India or other relevant authority.
- c. The Applicant will demonstrate his net worth duly certified by an auditor to the satisfaction of the Commission at the time of making the application.
- d. The Commission may from a date as may be specified by it, vary requirement of the net worth from time to time for new applicants.

3.2. Technical Requirements

- a. The applicant will engage at least one full-time professional having minimum 5 years' experience in each of the following disciplines, namely: -
 - i. Power System Operations and commercial aspects of power transfer, and
 - ii. Finance, commerce and accounts.

The minimum qualification for (i) above shall be a graduate in Electrical Engineering and for (ii) above shall be CA/ICWA.
- b. The applicant will furnish to the Commission details of the professional and supporting staff engaged by him on full time basis before undertaking trading.
- c. The aforesaid information shall be filed along with the supporting documents.
 - i. The applicant shall justify to the satisfaction of the Commission that the technical capability and resources exhibited by the applicant are adequate to manage the intended volume of trading.
 - ii. The applicant shall comply with the technical requirements when applying for the licence for trading:

Provided that the Commission may grant the trading licence to the applicant subject to the trader furnishing the details and exhibiting compliance to the technical requirements, in accordance with regulations 3.2 above, before undertaking the trading.

4. Procedure for Grant of Licence for Trading

- a. The application for grant of licence for trading will be submitted to the Commission in the manner specified in the Conduct of Business Regulations in the form contained in **Annexure-1A** to these Regulations and will be accompanied by such fee as may be prescribed by the UT of J&K and UT of Ladakh. The application will be processed by the Commission as per the provisions of Joint Electricity Regulatory Commission, Jammu & Kashmir and Ladakh (Conduct of Business) Regulations 2022 which will include publication of notice of application, inviting objections from stakeholders and seeking response of the applicant thereto and shall be finally disposed of within a period of 45 days.
- b. The application shall be accompanied by:
 - i. a statement of the capital proposed to be expended in carrying on the Licensed Business and such other particulars as the Commission may require;
 - ii. a copy of the Memorandum and Articles of Association of the company, where the Applicant is a body corporate, and similar applicable documents of incorporation, registration or agreement in case of other business entities;
 - iii. a receipt for payment of the application fee specified in accordance with clause (a) above;
 - iv. an affidavit by the Applicant verifying the information disclosed in the application;
 - v. where the Applicant is a body corporate, details of any group company(ies) engaged in the business of generation, distribution, transmission or trading of electricity, whether within the UT of J&K and UT of Ladakh or in any other State;
 - vi. where the Applicant is not a body corporate, details of any business of generation, distribution, transmission or trading of electricity, whether within the UT of J&K and UT of Ladakh or in any other State, in which the Applicant is directly or indirectly interested;
 - vii. Details of any financial holdings of the Applicant in the power sector;
 - viii. Brief history of the promoters in case the Applicant is a body corporate;
 - ix. Such other documents or information as the Commission may seek.
- c. After the applicant has published the notice of the application and after considering the objections received, if any, the Commission may decide, provisionally, to grant or refuse the licence and if it decides to grant the licence it may do so on such specific terms and conditions and with such modifications to the general conditions as the Commission may decide.
- d. When the Commission decides to grant the Licence, the Commission shall publish notice informing the name and address of the person to whom it intends to grant the Licence and other details as considered necessary and seek suggestions/objections from public and also indicate a date for hearing those who desire to be heard in person.

- e. After considering all suggestions/objections and after hearing those desiring to be heard in person, the Commission may finally decide either to grant or refuse the Licence.
- f. If the Commission grants the Licence, the Secretary of the Commission shall immediately after issue of a licence, forward a copy of the licence to the State Government, Central Electricity Authority, Central Electricity Regulatory Commission, and to such other persons as the Commission considers necessary.
- g. The Licensee will pay to the Commission licence fee as per Fees, Fines and Charges Regulations for the grant of Trading Licence. Full licence fee would be payable for the year whether licence is operative for full or part of the year. The fee will be remitted in the form and manner as mentioned in the Fees, Fines and Charges Regulations. The licence fee will be paid by first week of April of each year.

Provided that the licence fee for the first year of operation will be paid within one week of the Commission informing the applicant of its in principle approval for the issue of a licence.

5. Applicability of Trading Margin

Trading margin shall be applicable to the following transactions undertaken by the Trading Licensee:

- a) Transactions under short term contracts (where period of the contract of the Trading Licensee with both the seller and the buyer, including transactions undertaken through power exchanges, is up to one year);
- b) Transactions under long term contracts (where period of the contract of the Trading Licensee with either the seller or the buyer or both is more than one year);
- c) Banking of electricity, irrespective of duration of the contract;
- d) Transactions under Back to Back contracts, irrespective of duration of the contract;

5.1 Trading Margin

1. Trading Licensee shall comply with the trading margin as given below:

- a. The trading margin shall be charged on the scheduled quantity of electricity
- b. The trading margin shall include all charges, except the charges for scheduled energy, open access and transmission losses:

Provided that the charges for open access include the transmission charge, operating charge and the application fee.

- c. For transactions under **short term and Long term** contracts and contracts through power exchanges up to one year, the Trading Licensee shall charge a trading margin of not less than zero (0.0) paisa/kWh and not exceeding four (4.0) paisa/kWh:

Provided that in contracts where escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit equivalent to one point one (1.1) times the average monthly bill amount (estimated average of monthly billing amounts for three months or actual monthly billing amount for preceding three months as the case may be) **in case of long term** contract with a validity of one year is not provided by the Trading Licensee in favour of the seller, the Trading Licensee shall not charge trading margin exceeding Two (2.0) paisa/kWh.

In case of Short term contract revolving letter of credit equivalent to one point zero five (1.05) times of the contract value for short terms contract is not provided by the Trading licensee in favour of the seller, the Trading licensee shall not charge trading margin exceeding 2 paisa / kWh.

- 2. The trading margin specified under these regulations shall be the cumulative value of the trading margin charged by all the traders involved in the chain of transactions between the generator and the ultimate buyer, that is to say, trading margin in case of multiple trader-to-trader transactions and shall not exceed the ceiling of trading margin specified under these regulations.

6. Amendment to the Licence

- a. An application seeking amendments/the conditions of an existing licence under Section 18 of the Act will be submitted in the form contained in **Annexure-1B** to these Regulations and will be supported by an affidavit of the authorized person as provided in Form-2 of the Conduct of Business Regulations.
- b. Such applications will: -

- i. State the existing conditions, proposed amendments to the conditions of licence and reasons therefore;
 - ii. be accompanied by documents required for justifying the change in conditions of licence; and
 - iii. be accompanied by a fee of an amount as specified in the Fees, Fines and Charges Regulations and in the form and manner as mentioned thereof.
- c. The Licensee will, within 7 days from the date of admission of such application, publish a notice in the form specified at **Annexure-2** to these Regulations in one issue each of a daily newspaper in English, Urdu and Hindi languages having wide circulation in the UT of J&K and UT of Ladakh.
 - d. The application of a Licensee seeking amendments to an existing licence will be considered in accordance with the provisions of Conduct of Business Regulations and these Regulations and will be finally disposed of within a period of 45 days.

7. Duties and Obligations of the Licensee

The Licensee will have the following duties and obligations: -

- a. The Licensee will comply with the provisions of the Conduct of Business Regulations and also with the General Conditions of Trading Licence as specified in the Conduct of Business Regulations as well as the special conditions of licence issued to him;
- b. The Licensee will within a period of one month increase his net worth if the volume of trade as specified in clause 3.1 at any stage in a year upgrades from a lower category to a higher category and the Licensee shall inform the Commission of any such upgradation and subsequent change in the net worth;
- c. In case a Licensee holds multiple licences and his combined volume of trade at any stage in a year exceeds the combined net worth required for such licences, he will increase his net worth within a period of one month and provide proof thereof to the Commission;
- d. The Licensee will establish adequate communication facilities as per requirement of SLDC before commencement of the business of trading;
- e. The Licensee will have a website of his own for posting information in the format prescribed in **Annexure 3 and 4** to these regulations and other necessary information with regard to trade. He shall ensure that the website remains operative at all times during the validity of the licence;
- f. The Licensee will, within one month of the beginning of each year of trading operations, furnish his auditor's report regarding his net worth;
- g. The Licensee will be subject to trading margins for Trading as notified by the Commission from time to time;
- h. The Licensee will maintain an up to date record of all business transactions undertaken by him. He will also render necessary assistance to any person authorized by the Commission to inspect the records of the Licensee;
- i. The Licensee will ensure that all trading is carried out after entering into appropriate agreements with the seller of electricity or buyer of electricity as the case may be. Necessary safeguards concerning supply of electricity through trading and payment for the electricity traded will be included in the agreements between the parties. All financial transactions will be through letters of credit of scheduled banks;
- j. The trader shall pay to the Commission the non-refundable annual licence fee as mentioned in Fees, Fines and Charges Regulations.
- k. The Licensee will ensure that meters installed for the purpose of energy accounting comply with the specifications of the Grid Code; Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006.
- l. The Licensee will have requisite Agreements with the Transmission Licensee (s) and Distribution Licensee (s) for transmission and/or wheeling of electricity as the case may be;
- m. The licensee will provide his annual business plan to the Commission, the State Transmission Utility and the SLDC within one month of the beginning of each year of trading operations;

- n. The trader shall maintain separate accounts for his trading business, prepare and maintain the same in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956/2013, as amended from time to time and such other particulars in details in the manner as the Commission may direct from time to time.
- o. The trader shall submit to the Commission copies of the accounting statements and Auditor's report thereon not later than six months after the close of the financial year to which they relate. Any person authorised by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the trader and the trader shall render all necessary assistance to such person.
- p. The Licensee will duly comply with the orders and directions of the State Load Dispatch Centre, (SLDC), State Transmission Utility and Central Electricity Authority issued in the discharge of their functions under the Act;
- q. The Licensee will comply with the requirements specified by the Commission from time to time under Section 66 of the Act.
- r. The trader shall not engage in the business of transmission of electricity.
- s. The trader shall not, without prior approval of the Commission assign or transfer his licence to any person, by sale, lease, exchange or otherwise. Wherever prior approval of the Commission is required, the trader shall file an appropriate petition before the Commission, in accordance with the Conduct of Business Regulations.

8. Supply of Information to the Commission and others

- a. The Licensee will supply such information as may be prescribed by the Commission from time to time.
- b. The Licensee will supply information in the format prescribed at **Annexure-3** to these Regulations to the State Load Dispatch Centre (SLDC) or any other utility as may be specified by the Commission with a copy to the Commission, on quarterly basis and also post on the website.

The SLDC will verify the correctness of the quantum of energy traded, as indicated in the said quarterly information and report to the Commission.

9. Standards of Performance

- a. The Commission may, after consultation with the licensee, specify the standards of performance of the licensee.
- b. The licensee will furnish performance details to the Commission on quarterly basis in the format prescribed in **Annexure-4** to these Regulations.

10. Contravention of terms and conditions of licence

The Commission may pass such orders as it deems fit in accordance with the provisions of the Act, if there is a contravention or the likelihood of a contravention of the terms and conditions of licence by the Licensee.

11. Refusal of Licence

If the Commission is not inclined to grant the Licence, the Commission shall give an opportunity to the Applicant for being heard in person before rejecting the application.

12. Revocation of a Licence

- a. The proceedings for revocation of a Licence and/or for issuing any other orders under section 19 of the Act shall be initiated by the Commission by means of an order. The Commission may initiate such proceedings suo motu or on application of the licensee or on receiving any complaint or information from any person.
- b. The Commission shall give notice of the proceedings for the revocation of the licence to the licensee and to such other person, authority or body as the Commission may consider appropriate.
- c. Subject to the provisions of the Act and the procedure prescribed therein, the inquiry by the Commission for revocation of the licence, in so far as it is applicable, shall be in the same manner as provided in the Conduct of Business Regulations of the Commission in force.
- d. If the Commission decides to revoke the licence, the Commission shall communicate the order of revocation to the licensee stating the date from which such revocation shall take effect.
- e. The Commission may instead of revoking the licence pass any other order imposing such terms or conditions subject to which the Licensee is permitted to operate thereafter.

13. Issue of orders and practice directions

Subject to the provisions of the Act, and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations, the procedure to be followed etc., and other matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to specify or direct.

14. Power to Remove Difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act or rules framed thereunder, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty.

15. Power to Amend

The Commission may, from time to time, add, modify or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

By Order of the commission,

V. K. DHAR, Secy

[ADVT.-III/4/Exty./48/2023-24]

ANNEXURE-1A

(See Regulation-4)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**Application form for the Grant of Trading Licence in the UT of J&K and UT of Ladakh**

The applicant must submit the completed application in six (6) copies to the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for UT for J&K and UT of Ladakh, Ambedkar Chowk (Panama Chowk), Railway Line, Jammu along with application fee of Rs..... (Rupees only) as prescribed by Appropriate Government in the form of DD /Pay Order drawn in favour of Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh, and payable at Jammu.

PART-A: GENERAL INFORMATION ON APPLICANT**1. Details of Applicant**

- a) Full Name of the Applicant:
- b) Full Address of the Applicant:
- c) Name, Designation & Address of the Contact Person :
- d) Contact Telephone Numbers:
Fax Number(s):
Email ID:

2. Details of Ownership

- a) Company/ Firm/ Co-op Society/ Individual/ Others(specify):
- b) Particulars of Incorporation/ Registration
Place of Incorporation/ Registration:
Year of Incorporation/Registration:
Registration Number:
- c) Name and Address of Directors:

3. Principal Shareholders/ Partners/ Members:**4. (a). Details of the area of operation**

- (b). Nature of other electricity licenses / authorisation, if any, of the applicant for electricity transmission, distribution or trading already granted:

5. Details of Operation:

Maximum trading volume proposed to be undertaken by the applicant on a monthly basis for the first five years;

6. Funding arrangements (sources and application) to meet the obligations:
7. Arrangement for purchase of energy:
8. Arrangement, if any, proposed with other existing licensees
 - a) Resume of the Organisation with details of
 - b) Management capability
 - c) Financial strength
 - d) Ability to attend to the activities in a sustainable manner
9. Prior experience (Past 5 years' details for related business)

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/ consortium (as applicable)]

General Information	
Name & Address of the project(s) developed	
Brief description of project(s) developed	
Cost of the project(s) developed – Rs. Lakhs	
Name(s) & Address(s) of the client(s) for whom the project(s) were developed	
Name(s), Designation(s) & Address(es) of reference persons of client(s)	

10. Financial details of other business ventures of the applicant)

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/ consortium (as applicable)]

General Information	
Names of Subsidiary Business Units	Products manufactured/ services provided
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
Financial Indicator	Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Fixed Assets: Gross Fixed Assets Accumulated Depreciation Net Fixed Assets	
Equity: Promoters' Government/ Financial Institutions Public Others (specific)	

Liabilities: Long Term Short Term					
Income: Sale of Power Others					
Expenses: Admin. & General Expenses Repairs & Maintenance Expenses Employee costs: Interest & Financial Charges Long Term Short Term Others					
Financial Indicator	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Overall turnover (Rs. Lakhs)					
Profits & Returns (Rs. Lakhs) Net Profits Dividends Paid					
Operating Ratios: Return on Equity Return on Capital Employed Return on Net Fixed Assets					
Liquidity Ratio: Debt Service Coverage Ratio Current Ratio Quick Ratio					
Capital Adequacy & Credit worthiness: Debt/ Net worth Debt/ Equity					
Turnover Ratio: Total Asset Turnover Fixed Asset Turnover					

11. Baseline Information (Business for which Licence is sought)

General Information	

PART -B: LIST OF DOCUMENTS TO ACCOMPANY LICENCE APPLICATION

1. Information relating to pre-existing licence (if any), with copy of licence / sanction.
2. Copies of Company's Articles of Association, Memorandum of Association, Partnership deeds and similar constitutional documents.
3. Certification of incorporation/registration.

4. Certification for commencement of business.
5. Original Power of Attorney of the Signatory to commit the Applicant or its Promoters.
6. Details of Income Tax registration.
7. Data relating to Management and Financial capability
 - a. Managerial
 - i. Senior management's curriculum vitae
 - ii. Cadre strength for different categories (technical and non-technical)
 - b. Financial
 - i. Bank references asserting that the Applicant is financially solvent
 - ii. Most recent Annual Financial Statements (Balance Sheet)
 - iii. Annual Audited Accounts for the past 3 years for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company
 - iv. Any accompanying notes and certifications on the above statements from reputable chartered accountant
 - c. Any other documentary evidence to substantiate the financial capabilities, technical competence and others.
8. Data relating to the Applicant's Business proposals.
9. Five-year Business Plan (with projections) for the proposed business for which the application relates.
10. Five-year annual forecasts of costs, revenues, project financing and funding arrangements (clearly specifying the assumptions involved)
11. An affidavit that the Applicant is not engaged in the business of transmission of electricity.

Date

Signature of the Applicant

ANNEXURE-1B**(See Regulation-5)****JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

(Application Form for seeking amendment to Trading Licence in the UT of J&K and UT of Ladakh)

The applicant must submit the completed application in ten copies to the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, along with application fee as determined by the Commission from time to time in the form of a DD drawn in favour of the Joint Electricity Regulatory Commission payable at Jammu.

Part-A

The applicant hereby submits to the Commission the following particulars for making alterations or amendments to the terms and conditions of his existing Licence for trading in electricity under section 18 of the Electricity Act, 2003:

1. Particulars of existing Licence
Licence No. _____ Dated _____
2. Changes, if any, proposed in area of trading
Existing area proposed area
3. Specific amendment/alteration proposed in other clauses
Existing conditions Proposed amendment/alteration
(a)
(b)
(c)
4. Reasons for the alteration/amendment sought
5. If the proposed amendment/alteration will lead to additional investment, arrangements for funding it.
6. Any other particulars considered relevant/necessary.

Dated :

Signature of the Applicant

Part-B

List of documents to accompany an application for amendment/alteration to an existing licence.

1. Copy of existing licence.
2. Relevant resolution of Company/Society/Local authority.
3. Original Power of Attorney of the Signatory confirming the authorization from the Applicant or its Promoter.
4. Any other document.

ANNEXURE-2**PROFORMA FOR PUBLICATION****JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

PUBLIC NOTICE INVITING OBJECTIONS IN RESPECT OF APPLICATION FILED BY----- FOR AMENDMENT TO AN EXISTING LICENCE FOR TRADING IN ELECTRICITY

Notice is hereby given under Section 18 of the Electricity Act, 2003 to all the interested parties that Messrs---(name and address of the applicant), holding trading Licence No.----- dated-----for the following area :-

Description of area (As per Licence)

Has applied to the Joint Electricity Regulatory Commission, Ambedkar Chowk (Panama Chowk), Railway Line, Jammu for making following alterations in the terms and conditions of his licence mentioned above.

(Give existing provisions of the terms and conditions and the amendment/alteration sought)

Existing conditions Proposed Amendment

- 1.
- 2.
- 3.

The application along with proposed amendments/alterations can be inspected at the office of the Commission at the address mentioned above and at the main office of the applicant, at-----

The application with proposed amendments/alterations can also be downloaded from the Website of the Commission www.jercjkl.nic.in

Copies of the application along with proposed amendments/alterations can also be obtained from the applicant Messer either in person or by post, on payment of Rs.100/-.

Any person interested in objecting to or otherwise making representation in regard to the proposed amendment/alteration may within 30 days of the publication of this notice forward the objections/representation to the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission in seven copies by hand delivery or by registered post and should serve a copy of the objection/representation to Messrs-----at any of the offices mentioned above.

The person filing the objection/representation should give the following particulars:-

1. Name and full address
2. Grounds/reasons in support of the objection/representation together with documents or evidence, if available.
3. Whether he wishes to be heard in person or through authorized representative at the time of hearing.

Annexure-3**PROFORMA FOR SUBMISSION OF QUARTERLY INFORMATION**

(TO BE SUBMITTED TO THE COMMISSION AND SLDC BY 10TH DAY OF THE MONTH FOLLOWING THE QUARTER)

Name of the Electricity Trader :

Licence details(No. & Date) :

S.N	Date and time of transaction	Volume of electricity traded (in million KWHs)	Purchased from*	Sold to*	Point of Purchase	Purchase Price	Point of Sale	Sale Price	Transmission /wheeling charges paid, and whether the charges borne by Seller/Trader/Buyer**	Transmission Losses paid, and whether the charges borne by Seller/Trader/Buyer**	Un-scheduled Interchange (UI charges) paid, and whether the charges borne by Seller/Buyer**	Trading margin charged	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Note: All transactions shall be reported on real time basis whether during peak period, off peak period or round the clock and should not be aggregated.

* Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licence, Government, Consumer (when applicable) etc.

** Strike out whichever is not applicable.

Annexure-4

PROFORMA FOR SUBMISSION OF STANDARDS OF PERFORMANCE OF ELECTRICITY TRADER **(TO BE SUBMITTED TO THE COMMISSION AND SLDC BY 15TH DAY OF THE MONTH FOLLOWING THE QUARTER)**

Name of the Electricity Trader :

Licence details (No.& Date) :

S.No.	Volume of trading during the quarter	Cumulative trading upto the present quarter	Whether there is any change in the category of trader	Whether net worth is increased, due to change of category	Whether any violation to the licence conditions pointed out by any agency or observed by the licensee himself. If so, give details thereof	Payment track record for energy purchased for trading	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Note: i) A separate copy of duly filled Annexure-4 shall also be submitted to the Commission directly.

ii) SLDC shall verify the volume of trading & pass on the Annexure-4 to the Commission.